बिहार सरकार

कार्यालय : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

Website: www.lnjporthohospital.org, E.mail- lnjpnhospital@gmail.com

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत साफ–सफाई वगैरह हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत अंतःकक्ष की साफ–सफाई, परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/बागवानी एवं कपड़ों की धुलाई, हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफें में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत् साफ–सफाई, रख–रखाव एवं कपड़ों की धुलाई, हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर सिर्फ निबंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को पूर्वाहन 11.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के कार्यालय कक्ष में निविदा चयन/निर्धारण समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्त्ते कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से रू0 1000/– का डिमाण्ड ड्राँफ्ट (Non-Refundable) बनाकर अपने लेटर पैड के माध्यम से एक आवेदन निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना के कार्यालय कक्ष में जमा करने के पश्चात ही प्राप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें। विस्तृत जानकारी के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के वेबसाईट पर www.lnjporthohospital.org अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

(क) अस्पताल परिसर स्थित कार्यालयों सहित अस्पताल भवनों के अंतःकक्ष की साफ–सफाई वगैरह संबंधित कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :–

(01) अस्पताल परिसर स्थित कार्यालयों सहित अस्पताल भवनों के अंतःकक्ष की सभी कमरे, वार्ड, बरामदा, सीढ़ी, ओ०टी०, पैथोलॉजी रूम, एक्स–रे रूम, अल्ट्रासाउन्ड रूम, स्टोर रूम. स्नानघर, शौचालय सहित भवनों में बनी सभी कमरें इत्यादि की सतह, दिवाल एवं दिवाल में लगी टाईल्स की साफ–सफाई करना होगा।

(02) सभी फर्नीचर, लाईट, पंखे, खिड़कियों के किनारे लगे ग्रील, दरवाजे के अंदर व बाहर उपकरण में लगी दीमक को केमिकल का उपयोग कर अच्छी तरह से साफ–सफाई, मरम्मती, रख–रखाव एवं समय–समय पर डेन्टिग एवं पेन्टिग करना होगा।

(03) गर्मी, बरसात एवं सर्दी के मौसम में कम–से–कम दस प्रकार के मौसमी हर्बल फूल–पौधों की व्यवस्था कर नए–नए प्रकार के गमलो एवं छत के खाली जगहों पर क्यारी बनाकर जगह–जगह छोटा एवं बड़ा भिन्न–भिन्न प्रकार के सुन्दर हर्बल बागवानी विकसित करने एवं रख–रखाव करना होगा।

(04) प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थियेटर के सामानों का डिस्पोजल निर्धारित स्थान पर करना होगा।

(05) रोगियों के मल–मूत्र, अवशिष्ट पदार्थो, रक्त की सफाई एवं गंदे कपडों को जमा कर निर्धारित स्थान पर फेकना होगा।

(06) अस्पताल से निकलने वाले सभी प्रकार के कचड़ों को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर निष्पादन किया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में अस्पताल से निकलने वाले कचड़े अस्पताल परिसर या इर्द–गिर्द निष्पादन नही किया जायेगा।

(07) अस्पताल परिसर स्थित परिसर के लिए 20 पीस (04 अलग–अलग रंग का) डॅस्टबीन ढक्कन के साथ जिसका आकार 04 फीट का हो, रखना होगा प्रतिदिन डॅस्टबीन से कचड़ा निकालने के बाद डॅस्टबीन धोने के पश्चात् इस्तेमाल करना होगा अन्यथा बिना धोए डॅस्टबीन का अपयोग करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान पाये जाने अथवा CCTV कैमरा का अवलोकन करने के पश्चात् पकड़े जाने पर प्रति डॅस्टबीन एक हजार रुपया प्रतिदिन के दर से विपत्र पर अंकित राशि में से अस्पताल प्रशासन द्वारा कटौती कर लिया जायेगा।

(08) अस्पताल के लिये 200 गमले (पौधा, मिट्टी, खाद एवं पानी पटाने सहित) की व्यवस्था करना एवं गमलों को वर्ष में तीन बार रंगाई–पोताई करना होगा।

Bandna 28/11/2020

(09) अस्पताल भवन के सभी अंतःकक्षों की साफ–सफाई हेतु 24X7 के अर्न्तगत तीन बार यथा प्रत्येक आठ घंटा (05AM To 07AM, 02PM To 04PM, 12AM To 02AM) पर पोछा लगाना होगा, इसके अतिरिक्त जब–जब गंदा हो पोछा लगाकर साफ–सफाई करना होगा।

(10) प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार की रात 01AM To 04AM के बीच अस्पताल भवनो की सतह एवं दिवाल में लगी टाईल्स को केमिकल युक्त पानी से मशीन द्वारा अच्छी तरह से धोना एवं सुखवाना होगा।

(11) सिलिंग, दिवाल एवं अन्य जगहों में लगी झोल, धुल, मकड़े का जाल की साफ–सफाई करना होगा।

(12) अस्पताल परिसर स्थित कार्यालयों सहित अस्पताल भवनों के अंतःकक्ष की सभी जगहों सहित कोने–कोने तक सेनेटाइज प्रतिदिन करना होगा।

(13) भवन के छत–छज्जा पर जल जमाव को दूर कर साफ–सफाई करना होगा।

(14) भवन के छत पर उगे जंगली घासों को उखाड़कर या काटकर हटाना एवं साफ–सफाई करना होगा।

(15) साफ–सफाई का कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण यथा वैक्यूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, स्क्रवर, वाटर प्रेशर मशीन, वगैरह का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

(16) साफ–सफाई का कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री यथा– Duster Cloth, Toilet Freshner, Toilet Brush, Nepthaline Ball, मॉस्कीटो स्प्रे, कॉकोच स्प्रे, Sodium Hypochlorite solution Dettol/ Lifeboy liquid hand wash से O.T, Emr, Room, labour room, OPD, Blood Bank, ICU वगैरह में इस्तेमाल कराना अनिवार्य होगा।

(17) अस्पताल भवनों की सफाई करने के पश्चात् चूना, गेमेक्सीन, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना होगा।

(18) पेस्ट कन्ट्रोल हेतु सभी प्रकार के कीड़े मकौड़े यथा मच्छड, दीमक, सांप, बिच्छु, चुहा, कॉक्रोच, छिपकल्ली एवं जहरीले कीड़े मकौड़े को हटाने एवं भगाने का समूचित व्यवस्था करना होगा।

(19) अस्पताल भवनों के सतह एवं दिवाल में लगाई गई टाईल्स/मार्बल किसी कारण से टूटती या उखड़ती है तो उक्त जगहों पर उसी कलर का अथवा मिलता–जुलता नया टाईल्स/मार्बल लगाना होगा एवं वर्ष में तीन बार टाईल्स/मार्बल को पॉलीस भी करना होगा।

(20) वर्ष मे तीन बार पूरे अस्पताल परिसर स्थित सभी स्तर के भवनों की दिवाल में टूटा फुटा, बरसात के समय दिवाल में लगी काई वगैरह दिखाई देने के उपरान्त डेन्टिग एवं डेन्टिग के अनुकूल डेन्टिग स्थान पर दिवाल कलर के अनुसार पेन्टिग करना होगा।

(21) वर्ष मे एक बार पूरे अस्पताल परिसर स्थित सभी स्तर के भवनों का डेन्टिग एवं पेन्टिग (अस्पताल प्रशासन द्वारा कलर का निर्धारण के अनुकूल) करना होगा।

(22) अंतःकक्ष में एक बार एवं आपातकाल कक्ष में प्रत्येक आठ घंटे पर सेन्टेड रुम फ्रेशनर (चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मी द्वारा सेन्टेड रुम फ्रेशनर का चयन अनुकूल लिखित पत्र प्राप्त होने के पश्चात्) 24X7 के अर्न्तगत तीन बार यथा प्रत्येक आठ घंटा पर सेन्ट का छिडकाव करना होगा। शर्त्तोनुकूल पालन नहीं करने के उपरांत संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से एक हजार रुपया प्रति पाली के दर से कटौती की जायेगी।

(23) पुरूष रोगियों (सिर्फ आपरेशन वाले) को भर्ती होने के पश्चात् भर्ती सूची प्राप्त कर ऑन डूयूटी चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों के उपस्थिति में भर्ती रोगियों के लिए 50 ग्राम पेस्ट, 01 टूथब्रस, 01 जीभी, हाथ धोने हेतु एक छोटा साबुन, (20 ग्राम) स्नान करने हेतु एक बड़ा (100 ग्राम) साबुन, सर्फ (200 ग्राम पॉके ट में) दाढ़ी बनाने हेतु किट एवं एक सेनेटाइजर 01 (100 ML) (Non-Refundable) **(निःशुल्क एक बार सभी सामग्री अच्छे किस्म के एक पारदर्शी किट में)** देना होगा।

(24) महिला रोगियों (सिर्फ आपरेशन वाली) को भर्ती होने के पश्चात् भर्ती सूची प्राप्त कर ऑन डूयूटी चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों के उपस्थिति में भर्ती रोगियों के लिए 50 ग्राम पेस्ट, 01 टूथब्रस, 01 जीभी, हाथ धोने हेतु एक छोटा साबुन, (20 ग्राम) स्नान करने हेतु एक बड़ा (100 ग्राम) साबुन, सर्फ (200 ग्राम पॉकेट में) एवं एक सेनेटाइजर 01 (100 ML) (Non-Refundable) **(निःशुल्क एक बार सभी सामग्री अच्छे किस्म के एक पारदर्शी किट में)** देना होगा।

(25) गर्मी के मौसम में चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों/रोगियों के परिजनों के लिए ठंड़ा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु ब्रांडेड कम्पनी का बड़ा साईज के दो (02) (RO Machine/Water Purifier) अस्पताल भवन (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) में लगाना एवं रख-रखाव करना होगा।

Bandna 28-11-2020

(26) जाड़े के मौसम एवं अन्य समय हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों/रोगियों के परिजनों के लिए गरम पानी की व्यवस्था कराने हेतु ब्रांडेड कम्पनी का पानी गर्म करने वाला उपकरण (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–राखाव करना होगाा।

(27) अस्पताल भवनों स्थित सभी प्रकार के उपकरण की मरम्मती करने हेतु एक बढई मिस्त्री रखना होगा।

(28) अस्पताल भवनों स्थित टूटे/फुटे जगहों की मरम्मती करने हेतु एक राज मिस्त्री रखना होगा।

(29) BMISCL अथवा सक्षम विभाग द्वारा अस्पताल भवनों की सतह एवं दिवाल में लगें टाईल्स की नापी कराने के पश्चात् ही संस्था को भुगतान किया जायेगा।

(30) अस्पताल में पदस्थापित महिला पदाधिकारियों/महिला कर्मियों के सुविधा हेतु AUTOMATIC SANITARY NAPKIN VENDING MACHINE (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(31) अस्पताल में पदस्थापित महिला पदाधिकारियों/महिला कर्मियों के सुविधा हेतु AUTOMATIC SANITARY NAPKIN BURNING MACHINE (INCINERATOR) (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(32) भर्ती महिला रोगियों एवं रोगियों के महिला परिजनों के सुविधा हेतु AUTOMATIC SANITARY NAPKIN VENDING MACHINE (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(33) भर्ती महिला रोगियों एवं रोगियों के महिला परिजनों के सुविधा हेतु AUTOMATIC SANITARY NAPKIN BURNING MACHINE (INCINERATOR) (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(34) भर्ती रोगियों के सुविधा के लिए सामग्री रखने हेतु प्रत्येक बेड़ के पास दो फीट चौडाई x तीन फीट उॅचाई का ट्रॉली आलमीरा एवं डेढ फीट का ढक्कन वाला डॅस्टबीन रखना होगा।

(35) एक हेल्थ मैनेजर (शैक्षणिक योग्यता MBA एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मानदेय) कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जिसका कार्य निविदा शर्त्तोनुकूल कार्यो का ससमय निष्पादन करना अनिवार्य होगा।

(36) एक लेखापाल (शैक्षणिक योग्यता B.Com एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मानदेय) कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जिसका कार्य निविदा शर्त्तोनुकूल कार्यो का ससमय निष्पादन करने एवं लॉक बुक तथा वित्तीय अभिलेखों का संधारण करने सहित विपत्र पर संस्था के सक्षम पदाधिकारी के अतिरिक्त उक्त लेखापाल का भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(37) अस्पताल की आंतरिक सुरक्षा एवं अस्पताल में हो रही कार्यो की निगरानी हेतु ब्रांडेड कम्पनी का 16 पीस CCTV कैमरा लगाने सहित रख–रखाव करना होगा। जिसकी माइक के साथ उपकरण एवं 32 इंच T.V निदेशक कार्यालय, लिपीकीय कार्यालय, वेटींग हॉल, चिकित्सक आपातकाल कक्ष एवं मुख्य परिसर में 55 इंच T.V अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर लगाना होगा।

(38) निरीक्षण के दौरान टाईल्स/मार्बल में काई एवं दिवालों पर जंगली पौधा अगर मिलता है तो उक्त परिस्थिति में उक्त दिन से लेकर जिस दिन तक वह सफाई नहीं हो जाती है, तब तक 5000/ प्रतिदिन के दर से संस्था द्वारा प्राप्त विपत्र के राशि में से कटौती की जायेगी।

(39) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्त्तोनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(40) सभी कर्मी/श्रमिकों द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, छपा हुआ निर्धारित पोशाक सहित टोपी, मास्क एवं दस्ताना पहनकर ही संबंधित कार्य का निष्पादन करना होगा।

(41) 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अतिरिक्त बिहार के प्रमुख पर्व, पर्व मिलन समारोह, सेवा निवृत विदाई समारोह आदि में होने वाली सभी खर्च का वहन संस्था द्वारा करना होगा।

(42) माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, सचिव स्वास्थ्य, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, विशेष सचिव, स्वास्थ्य, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई अस्पताल की निरीक्षण व अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराये जा रहे कार्यो के आलोक में असंतोष पाये जाने के उपरांत शिकायत की टिप्पणी की जाती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(43) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यो की मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में कायाकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य स्तरीय अवॉर्ड कमिटी से कराई गई बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती हैं। यदि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को रोगी कल्याण समिति के द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र एवं अन्य सामग्री से सम्मानित किया जायेगा, संबंधित अभियान के आलोक में प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान संस्थान को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र के राशि में से जीरो (0) प्रतिशत से लेकर पॉच (05) प्रतिशत तक कटौती करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन अपने पास सुरक्षित रखती है।

(44) संबंधित इकाई के ऑन डूयूटी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु निदेशित किया जाता है, तो संबंधित कार्य को प्रथम प्राथमिकता देते हुए तत्काल निष्पादन कर संबंधित पदाधिकारी को संतुष्ट करना होगा अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(45) समय सीमा के अन्दर संबंधित कार्य नहीं कराने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(46) **L1 दर के आधार पर संस्थान द्वारा संस्था को की गई भुगतान राशि की खर्च संबंधित सभी कागजात प्रत्येक तीन माह पर संस्था द्वारा संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही अगले माह का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।**

(ख) अस्पताल परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/बागवानी वगैरह संबंधित कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :–

(01) अस्पताल परिसर स्थित सभी उबड–खाबड़ जमीन को समतल बनाने के पश्चात् रंग बिरंगे सीमेंटेड ईट से सोलिंग कर (अस्पताल प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुकूल) डिजाईनदार रास्ता बनाना होगा।

(02) अस्पताल परिसर स्थित चयनित खाली जगहों पर अविलम्ब दो शौचालय (महिला एवं पुरूष अलग–अलग) का निर्माण करना होगा निर्माण के उपरांत शौचालय का (24X7 के अन्तर्गत पाली के हिसाब से श्रमिकों को रखना होगा) उक्त शौचालय का साफ–सफाई एवं रख–रखाव करना होगा।

(03) गर्मी, बरसात एवं सर्दी के मौसम में कम–से–कम दस प्रकार के मौसमी फूल–पौधों की व्यवस्था कर क्यारी बनाकर जगह–जगह छोटा एवं बड़ा भिन्न–भिन्न प्रकार के सुन्दर हर्बल बागवानी विकसित करने एवं रख–रखाव करना होगा।

(04) अस्पताल परिसर स्थित सभी पेड़ों को वर्ष में तीन बार रंगाई–पोताई करना होगा।

(05) अस्पताल परिसर स्थित चयनित खाली जगहों पर अविलम्ब दो या दो से अधिक फब्वारा की स्थापना करना होगा, स्थापना के उपरांत फब्वारा में लगे उपकरणों की मरम्मती, साफ–सफाई एवं रख–रखाव करना होगा।

(06) अस्पताल परिसर स्थित परिसर के लिए 20 पीस (04 अलग–अलग रंग का) डॅस्टबीन ढक्कन एवं उसमे प्लास्टिक के साथ जिसका आकार 04 फीट का हो, रखना होगा प्रतिदिन डॅस्टबीन से कचड़ा निकालने के बाद डॅस्टबीन धोने के पश्चात् इस्तेमाल करना होगा अन्यथा बिना धोए डॅस्टबीन का अपयोग करने हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान पाये जाने अथवा CCTV कैमरा का अवलोकन करने के पश्चात् पकड़े जाने पर प्रति डॅस्टबीन एक हजार रुपया प्रतिदिन के दर से विपत्र अंकित राशि में से अस्पताल प्रशासन द्वारा कटौती कर लिया जायेगा।

(07) अस्पताल परिसर के लिये 200 गमले (पौधा, मिट्टी, खाद एवं पानी पटाने सहित) की व्यवस्था करना एवं गमलों को वर्ष में तीन बार रंगाई–पोताई करना होगा।

(08) अस्पताल परिसर की साफ–सफाई हेतु 24X7 के अर्न्तगत तीन बार यथा प्रत्येक आठ घंटा (05AM To 07AM, 02PM To 04PM, 12AM To 02AM) पर साफ–सफाई करना होगा इसके अतिरिक्त जब–जब गंदा हो साफ–सफाई करना होगा।

(09) प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार की रात 01AM To 04AM के बीच अस्पताल परिसर, की सतह एवं अस्पताल परिसर स्थित चारदिवारी को केमिकल युक्त पानी से मशीन द्वारा अच्छी तरह से धोना एवं सुखवाना होगा।

Bandna 28/11/2020

(10) अस्पताल परिसर स्थित चारदिवारी एवं अन्य जगहों में लगी झोल, धुल, मकड़े का जाल की साफ–सफाई करना होगा।

(11) अस्पताल परिसर स्थित चारदिवारी एवं सभी जगहों सहित कोने–कोने तक सेनेटाइज प्रतिदिन करना होगा।

(12) अस्पताल परिसर स्थित सतह पर जल जमाव को दूर कर साफ–सफाई करना होगा।

(13) अस्पताल परिसर में उगे जंगली घासों को उखाड़कर या काटकर हटाना एवं ग्रास कटर मशीन से घास की कटाई कर सुसज्जित कर साफ–सफाई करना होगा।

(14) साफ–सफाई का कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण यथा वैक्यूम क्लीनर, फलोर क्लीनर, स्क्रवर, वाटर प्रेशर मशीन, वगैरह का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

(15) साफ–सफाई का कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री यथा कैमिकल वगैरह का इस्तेमाल कराना अनिवार्य होगा।

(16) अस्पताल परिसर की सफाई करने के पश्चात् नियमित रुप से चूना, गेमेक्सीन, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना होगा।

(17) नियमित रुप से पेस्ट कन्ट्रोल हेतु सभी प्रकार के कीड़े मकौड़े यथा मच्छड, दीमक, सांप, बिच्छु, चुहा, कॉक्रोच, छिपकल्ली एवं जहरीले कीड़े मकौड़े को हटाने एवं भगाने का समूचित व्यवस्था करना होगा।

(18) अस्पताल परिसर के सतह एवं दिवाल में लगाई गई टाईल्स/मार्बल किसी कारण से टूटती या उखड़ती है तो उक्त जगहों पर उसी कलर का अथवा मिलता–जुलता नया टाईल्स/मार्बल लगाना होगा एवं वर्ष में तीन बार टाईल्स/मार्बल को पॉलीस भी करना होगा।

(19) वर्ष मे तीन बार पूरे अस्पताल परिसर स्थित चारदिवारी में टूटा फुटा, बरसात के समय दिवाल में लगी काई वगैरह दिखाई देने के उपरान्त डेन्टिग एवं डेन्टिग के अनुकूल डेन्टिग स्थान पर दिवाल कलर के अनुसार पेन्टिग करना होगा।

(20) वर्ष मे एक बार पूरे अस्पताल परिसर स्थित चारदिवारी का डेन्टिग एवं पेन्टिग (अस्पताल प्रशासन द्वारा कलर का निर्धारण के अनुकूल) करना होगा।

(21) गर्मी के मौसम में चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों/रोगियों के परिजनों के लिए ठंड़ा एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु ब्रांडेड कम्पनी का बड़ा साईज के दो (02) (RO Machine/Water Purifier) अस्पताल परिसर स्थित (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) में लगाना एवं रख-रखाव करना होगा।

(22) जाड़े के मौसम एवं अन्य समय हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों/रोगियों के परिजनों के लिए गरम पानी की व्यवस्था कराने हेतु ब्रांडेड कम्पनी का पानी गर्म करने वाला उपकरण (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–राखाव करना होगा।

(23) अस्पताल परिसर स्थित फुल पौधो पर सेन्टेड किटनाशक स्प्रे (चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मी द्वारा सेन्ट स्प्रे का चयन अनुकूल लिखित पत्र प्राप्त होने के पश्चात्) आवश्यकतानुकूल सेन्ट का छिड़काव समय–समय पर करना होगा शर्त्तोनुकूल पालन नहीं करने के उपरांत संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से एक हजार रुपया प्रति दिन के दर से कटौती की जायेगी।

(24) रोगियों के मल–मूत्र, अवशिष्ट पदार्थो, रक्त की सफाई एवं गंदे कपडों को जमा कर निर्धारित स्थान पर फेकना होगा।

(25) अस्पताल परिसर से निकलने वाले सभी प्रकार के कचड़ो को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर निष्पादन करना होगा किसी भी परिस्थिति में अस्पताल से निकलने वाले कचड़े अस्पताल परिसर या इर्द–गिर्द निष्पादन नही किया जायेगा।

(26) अस्पताल परिसर स्थित सभी प्रकार के उपकरण की मरम्मती करने हेतु एक बढई मिस्त्री रखना होगा।

(27) अस्पताल परिसर स्थित टूटे/फुटे जगहों की मरम्मती करने हेतु एक राज मिस्त्री रखना होगा।

(28) अस्पताल परिसर स्थित बागवानी हेतु एक माली रखना होगा।

(29) BMISCL अथवा सक्षम विभाग द्वारा अस्पताल परिसर की सतह की नापी कराने के पश्चात् ही संस्था को भुगतान किया जायेगा। (साफ–सफाई का क्षेत्र अस्पताल प्रशासन द्वारा तय किया जायेगा)

(30) अस्पताल में पदास्थापित महिला पदाधिकारियों/महिला कर्मियों के सुविधा हेतु AUTOMATIC SANITARY NAPKIN VENDING MACHINE (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(31) अस्पताल में पदास्थापित महिला पदाधिकारियों/महिला कर्मियों के सुविधा हेतु **AUTOMATIC SANITARY NAPKIN BURNING MACHINE (INCINERATOR)** (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(32) भर्ती महिला रोगियों एवं रोगियों के महिला परिजनों के सुविधा हेतु **AUTOMATIC SANITARY NAPKIN VENDING MACHINE** (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(33) भर्ती महिला रोगियों एवं रोगियों के महिला परिजनों के सुविधा हेतु **AUTOMATIC SANITARY NAPKIN BURNING MACHINE (INCINERATOR)** (जगह का चयन अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जायेगा) लगाना एवं रख–रखाव करना होगा।

(34) भर्ती रोगियों के परिजनों के सुविधा के लिए सामग्री रखने हेतु एक स्वच्छ एवं सुरक्षित सेड बनाना होगा एवं उक्त सेड में रोगियों के परिजन अपना सामान सुरक्षित रख सके इसके लिए कई सामुहिक हॉकर रखना होगा।

(35) एक हेल्थ मैनेजर (शैक्षणिक योग्यता **MBA** एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मानदेय) कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जिसका कार्य निविदा शर्त्तोनुकूल कार्यो का ससमय निष्पादन करना अनिवार्य होगा।

(36) एक लेखापाल (शैक्षणिक योग्यता **B.Com** एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मानदेय) कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जिसका कार्य निविदा शर्त्तोनुकूल कार्यो का ससमय निष्पादन करने एवं लॉग बुक तथा वित्तीय अभिलेखों का संधारण करने सहित विपत्र पर संस्था के सक्षम पदाधिकारी के अतिरिक्त उक्त लेखापाल का भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(37) **अस्पताल की आंतरिक सुरक्षा एवं अस्पताल में हो रही कार्यो की निगरानी हेतु ब्रांडेड कम्पनी का 16 पीस CCTV कैमरा लगाने सहित रख–रखाव करना होगा। जिसकी माइक के साथ उपकरण एवं 32 इंच T.V निदेशक कार्यालय, लिपीकीय कार्यालय, वेटींग हॉल, चिकित्सक आपातकाल कक्ष एवं मुख्य परिसर में 55 इंच T.V अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर लगाना होगा।**

(38) निरीक्षण के दौरान टाईल्स/मार्बल में काई एवं दिवालो पर जंगली पौधा अगर मिलता है तो उक्त परिस्थिति में उक्त दिन से लेकर जिस दिन तक वह सफाई नहीं हो जाती है, तब तक 5000/प्रतिदिन के दर से संस्था द्वारा प्राप्त विपत्र के राशि में से कटौती की जायेगी।

(39) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्त्तोनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(40) सभी कर्मी/श्रमिकों द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, छपा हुआ निर्धारित पोशाक सहित टोपी, मास्क एवं दस्ताना पहनकर ही संबंधित कार्य का निष्पादन करना होगा।

(41) 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अतिरिक्त बिहार के प्रमुख पर्व, पर्व मिलन समारोह, सेवा निवृत विदाई समारोह आदि में होने वाली सभी खर्च का वहन संस्था द्वारा करना होगा।

(42) **माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, सचिव स्वास्थ्य, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, विशेष सचिव, स्वास्थ्य, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई अस्पताल की निरीक्षण व अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराये जा रहे कार्यो के आलोक में असंतोष पाये जाने के उपरांत शिकायत की टिप्पणी की जाती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।**

(43) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यो की मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में कायाकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य स्तरीय अवॉर्ड कमिटी से कराई गई बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती हैं। यदि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को रोगी कल्याण समिति के द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा, संबंधित अभियान के आलोक में प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान संस्थान को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र के राशि में से जीरो (0) प्रतिशत से लेकर पॉच (05) प्रतिशत तक कटौती करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन अपने पास सुरक्षित रखती है।

JP 2020 Bandna 2020

(44) संबंधित इकाई के ऑन डूयूटी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु निदेशित किया जाता है, तो संबंधित कार्य को प्रथम प्राथमिकता देते हुए तत्काल निष्पादन कर संबंधित पदाधिकारी को संतुष्ट करना होगा अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(45) समय सीमा के अन्दर संबंधित कार्य नहीं कराने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(46) **L1 दर के आधार पर संस्थान द्वारा संस्था को की गई भुगतान राशि की खर्च संबंधित सभी कागजात प्रत्येक तीन माह पर संस्था द्वारा संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं अगले माह का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।**

(ग) अस्पताल अन्तर्गत उपयोग में आने वाली सभी स्तर के कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन (संस्था द्वारा खादी का कपड़ा उपलब्ध कराने सहित) कराने से संबंधित कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :–

(01) सरकार द्वारा निर्धारित सातो रंग का प्रत्येक बेड के बेडशीट (चादर) एवं तकिया का कवर **(संस्था द्वारा खादी का कपड़ा उपलब्ध कराने सहित)** प्रत्येक दिन धोना एवं ऑयरन करना होगा।

(02) प्रत्येक बेड का कम्बल, मछरदानी पर्दा, आदि आवश्यकतानुकूल धोना एवं ऑयरन करना होगा।

(03) प्रत्येक बेड का गद्दा को आवश्यकतानुकूल धोना एवं सेनेटाइज करना होगा।

(04) ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन प्रत्येक ऑपरेशन के बाद करना होगा।

(05) चिकित्सकों एवं पारा–मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ऐपरॉन की धुलाई के पश्चात् ऑयरन करना होगा।

(06) भर्ती रोगियों के लिए प्रत्येक दिन स्नान करने से पहले उपयोग करने हेतु उपलब्ध कराई गई कुर्ता, पैजामा, गाउन, लुंगी, गमछा **(संस्था द्वारा खादी का कपड़ा उपलब्ध कराने सहित)** प्रत्येक दिन धोना एवं ऑयरन करना होगा।

(07) भर्ती होने के **पश्चात** भर्ती रोगियों के द्वारा सरकारी कपड़ा पहनने के समय खोला गया कपड़ा को धुलाई एवं ऑयरन सिर्फ पहला दिन करना होगा।

(08) कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन करने हेतु सारी व्यवस्था अस्पताल परिसर में ही करना होगा, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा एक कमरा, पानी एवं बिजली का व्यवस्था किया जायेगा।

(09) कपड़ा धोने हेतु अस्पताल परिसर में ब्रांडेड कम्पनी का उपकरण लगाना होगा।

(10) किसी कारणवश कपड़ा कट या फट जाता है तो उक्त परिस्थिति में ससमय कपड़ा की रफु/सिलाई करने हेतु (मशीन एवं धागा सहित) एक दर्जी कार्यालय अवधि तक रखना होगा।

(11) एक लेखापाल (शैक्षणिक योग्यता B.Com एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित मानदेय) कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जिसका कार्य निविदा शर्त्तोनुकूल कार्यो का ससमय निष्पादन करने एवं लॉक बुक तथा वित्तीय अभिलेखों का संधारण करने सहित विपत्र पर संस्था के सक्षम पदाधिकारी के अतिरिक्त उक्त लेखापाल का भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(12) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्त्तोनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(13) सभी कर्मी/श्रमिकों द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, छपा हुआ निर्धारित पोशाक सहित टोपी, मास्क एवं दस्ताना पहनकर हीं संबंधित कार्य का निष्पादन करना होगा।

(14) 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अतिरिक्त बिहार के प्रमुख पर्व, पर्व मिलन समारोह, सेवा निवृत विदाई समारोह आदि में होने वाली सभी खर्च का वहन संस्था द्वारा करना होगा।

(15) माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, सचिव स्वास्थ्य, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, विशेष सचिव, स्वास्थ्य, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई अस्पताल की निरीक्षण व अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराये जा रहे कार्यो के आलोक में असंतोष पाये जाने के उपरांत शिकायत की टिप्पणी की जाती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(16) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यो की मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में कायाकल्प

कार्यकम अन्तर्गत राज्य स्तरीय अवॉर्ड कमिटी से कराई गई बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती हैं। यदि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को रोगी कल्याण समिति के द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा, संबंधित अभियान के आलोक में प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान संस्थान को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र के राशि में से जीरो (0) प्रतिशत से लेकर पॉच (05) प्रतिशत तक कटौती करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन अपने पास सुरक्षित रखती है।

(17) संबंधित इकाई के ऑन ड्यूटी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु निदेशित किया जाता है, तो संबंधित कार्य को प्रथम प्राथमिकता देते हुए तत्काल निष्पादन कर संबंधित पदाधिकारी को संतुष्ट करना होगा अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(18) समय सीमा के अन्दर संबंधित कार्य नहीं कराने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच (05) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(19) **L1 दर के आधार पर संस्थान द्वारा संस्था को की गई भुगतान राशि की खर्च संबंधित सभी कागजात प्रत्येक तीन माह पर संस्था द्वारा संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं अगले माह का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।**

(घ) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्त्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा।

(01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।

(02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रू०–1,00,000/– (एक लाख रू०) मात्र **(चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable)** का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो **Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna.** के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(04) ESI निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(05) EPF निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(07) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया–प्रति सलंग्न करना होगा। अगर निविदादाता फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(08) **GST No.** निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(09) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत उधोग आधार निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(10) निविदादाता को अपने संस्था के नाम से खोली गई **Current Account** के तहत बैंक द्वारा निर्गत **1,00,000/-** रूपये तक का **Solvency Certificate** अथवा **1,00,000/-** रूपये का **Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna** के नाम से **Fixed Deposit**/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(11) Current Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेन्ट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्रमाणित हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।

28/11/20 29/11/2020 28/11/2020

(12) विगत तीन वर्षो का आयकर Return (Assessment Year AY- 2017-18, 2018-19, 2019-20) प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(13) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन Financial Year (FY- 2016-17, 2017-18, 2018-19) को मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पच्चास लाख रूपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

(14) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(15) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं ESI,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(16) निविदादाता के आवास (जो वर्तमान मे है)। आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(17) निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(18) निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(19) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप– यथा ***(आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभागों/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप)*** नही लगा है, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं0	प्रमाण पत्रों, ड्रॉफ्ट एवं शपथ पत्रों की पूरा विवरणी	निबंधन सं0/पत्रांक सं0/अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों की क्रमबार संख्या	कागजातों की कुल संख्या
1	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।			01 To	
2	संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
3	अग्रधन राशि, 01,00,000/ रूपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।			To	
4	ESI निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
5	EPF निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
6	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र।			To	
7	पैन कार्ड की प्रति।		X	To	
8	GST No. निबंधन प्रमाण–पत्र।			To	
9	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र।			To	
10	Solvency Certificate या Fixed deposit/ डिमाण्ड ड्रॉफ्ट 1,00,000/- लाख रूपये का।			To	

11	Current Account बैंक स्टेटमेंट एकाउन्ट नं० सहित।				To	
12	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति।	2017-18 :-			To	
		2018-19 :-			To	
		2019-20 :-			To	
13	विगत तीन Financial Year को मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पच्चास लाख) रूपये की प्रति।	2016-17 :-			To	
		2017-18 :-			To	
		2018-19 :-			To	
14	निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, शपथ –पत्र।				To	
15	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं ESI,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, शपथ –पत्र।				To	
16	निविदादाता का आवास (जो वर्तमान मे है) आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण–पत्र।				To	
17	निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र।				To	
18	निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति।			X	To	
19	बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप– यथा (आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभागों/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने				To	

	का आरोप) नही लगा है, शपथ–पत्र				
				कुल योगः–	

निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा नाम :–	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा पता :–	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :–	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :–	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :–	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :–	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोवाईल न० :–	

निविदादाता का हस्ताक्षर :

(ड़) **आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24X7 के तहत कराई जा रही कार्य यथा आंतरिक साफ–सफाई, परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/बागवानी, कपड़ो की धुलाई (बड़ा, छोटा जो अस्पताल प्रशासन द्वारा बड़ा, छोटा कपड़ा का गणना निर्धारित किया जायेगा) हेतु, के आलोक में संस्था द्वारा वित्तीय निविदा में सभी सामग्रियों, ESI,EPF सहित अन्य खर्च वगैरह एकमुस्त दर जोड़कर प्रारूप में न्यूनतम दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा।**

वित्तीय निविदा का प्रारूप

भवनों की आंतरिक साफ–सफाई की सतह एवं दिवाल में लगी टाईल्स प्रतिवर्ग मीटर प्रतिदिन का दर	परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/बागवानी की प्रतिवर्ग मीटर प्रतिदिन का दर	कपड़ों की धुलाई प्रति कपड़ा प्रतिदिन का दर	
		बड़ा	छोटा

(च) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :–

(01) एक संस्था को सिर्फ एक या दो ही कार्य करने हेतु कार्य आवंटन किया जायेगा चाहे उक्त संस्था का सभी कार्यो में न्यूनतम L1 दर क्यों नहीं हो, तकनीकी रुप से सफल संस्था के बीच न्यूत्तम L1 दर पर कार्य बटवारा

करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। अगर न्यूनतम L1 दर पर कोई संस्था कार्य करने की इच्छुक नहीं होती हैं, तो उक्त परिस्थिति में संबंधित कार्य के आलोक में L1 दर अंकित करने वाला संस्था को सभी कार्य आवंटन कर दिया जायेगा।

(02) निविदादाता द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ संलग्न किया गया सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों/शपथ पत्र में दर्शाई गई सुचना का अस्पताल प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग से सत्यापन कराने व सत्यापन कराने के दौरान सही एवं सत्य पाये जाने के पश्चात् ही संस्था द्वारा किये गये कार्यो के आलोक में संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(03) किसी भी आम नागरिक (नाम या बगैर नाम) द्वारा निविदा शर्त्तोनुकूल संस्था द्वारा उलंघन कर डाले गये निविदा संबंधित साक्ष्य के तहत संस्था के विरुद्ध अस्पताल प्रशासन को आवेदन प्राप्त होता है तो उक्त परिस्थिति में प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखो/साक्ष्य के आधार पर सत्यता की सत्यापन कराने के पश्चात् ही संस्था को संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा अगर सत्यापन के दौरान आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सही एवं सत्य पाया जाता है तो निविदा शर्त्तोनुकूल उक्त दिनांक को ही संस्था पर कानूनी कारवाई करते हुए विपत्र पर अंकित राशि एवं जमानत राशि को जब्त करते हुए अगले दस वर्षो तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(04) शर्त्त "घ" के तहत संस्था द्वारा किसी भी कार्य को करने हेतु सक्षम विभाग से बनवाई गई निबंघन प्रमाण पत्र के आलोक में कोई भी संस्था इस निविदा में भाग ले सकते हैं।

(05) निविदादाता द्वारा अस्पताल का भली–भॉति निरीक्षण एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुवार शर्त्तो का अवलोकन करने के पश्चात् हीं निविदा डाले।

(06) यदि सरकार द्वारा दिशा निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुबंध की शर्त्तो में परिवर्तन कर सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

(07) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(08) कर्मियों/श्रमिकों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होगा। कर्मियों/श्रमिकों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

(09) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्त्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यथा सभी प्रमाण–पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(10) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण–पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्त्तो को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा चयन निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा।

(11) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें, जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हों।

(12) निविदा में दर्शाई गई सभी शार्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।

(13) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत की जा रही कार्यो की गुणवता से संबंधित अस्पताल के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर अस्पताल प्रशासन/राज्य स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य विभाग अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जाँचोंपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् ही निविदादाता को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना जाँचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।

(14) यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी/श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(15) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(16) यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करते है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कारवाई की जाएगी।

Bandra 28/11/2020

(17) आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा।

(18) कार्यो को सुचारू रूप से संचालन से संबंधित भिन्न–भिन्न प्रकार के सामग्री का रखाव एवं श्रमिकों को रहने हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा कमरा अथवा सेड उपलब्ध कराया जायेगा किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।

(19) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ–पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरूद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई किया जायेगा तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षो तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(20) संचालक, कर्मी एवं श्रमिकों को अस्पताल पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति व्यवहार मृद एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि श्रमिकों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे श्रमिकों को तत्काल हटाते हुए नए श्रमिकों को संस्था द्वारा रखा जायेगा।

(21) निविदा में सफल होने के पश्चात् निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/–NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा होने के 21 दिनों के अन्दर निविदा शर्त्तोनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।

(22) अनुबंध तीन वर्ष के लिए मान्य होगा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित किया जा सकता है।

(23) अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अस्पताल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र यथा पटना उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा निपटारा कराया जायेगा।

(24) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय सहित ESI,EPF वगैरह का भुगतान संस्था द्वारा *(विपत्र के साथ श्रमिकों को संस्था द्वारा कि गई भुगतान संबंधित उक्त बैक पासबुक सहित ESI,EPF वगैरह से संबंधित जमा की गई राशि का चलान कि छायप्रति संलग्न करना होगा)* करने के पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा निर्धारित समय पर संस्था द्वारा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में श्रमिकों को भुगतान करने कि तिथि तक रू0 5000/–प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(25) संस्था द्वारा पिछले माह का जमा की गई कर्मियों, श्रमिकों का मानदेय एवं **ESI,EPF** तथा सभी प्रकार के कर कि चलान विपत्र के साथ *संलग्न* करना होगा, तत्पश्चात ही अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

(26) **L1** दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के **L2** दर अंकित करने वाले संस्था से **L1** के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि **L1** के दर पर **L2** दर अंकित करने वाला संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में **L3** से लेकर सभी तकनीकी रुप से सफल संस्था से **L1** दर के आधार पर कार्य करने हेतु मौका दिया जायेगा, साथ ही साथ **L1** दर अंकित करने वाले निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि अस्पताल प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

(27) **L1** दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व/पश्चात् **L1** दर अंकित करने वाले निविदादाता द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ जमा किये गये कागजातों को अस्पताल प्रशासन द्वारा सत्यापन (निर्गत विभागों से) कराने के दौरान फर्जी पाई जाती हैं तो **L2** दर अंकित करने वाले संस्था को **L2** दर को **L1** दर मान कर **L2** दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।

(28) श्रमिक कार्य करने की अवधि के दौरान निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे जिसकी उपस्थिति अस्पताल प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी पदाधिकारी/कर्मी के पास संधारित होगा बिना पोशाक में श्रमिकों कार्य करते हुए पकड़े जाने पर प्रति कर्मी एक हजार रुपये प्रतिदिन के दर से संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती कर लिया जायेगा।

(29) तकनीकी रुप से सफल होने के पश्चात् अगर कोई संस्था वित्तीय निविदा में **L1** दर हो जाता हैं, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान नाम/पता वगैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम/पता में) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलती लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा होने की तिथि से तीन माह के अन्दर

संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार करा कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा संस्था द्वारा जमा कि गई जमानत राशि एवं विपत्र पर अंकित राशि को जब्त करते हुए एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L1 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।

(30) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना, के निविदा चयन समिती द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में रोगियों को भोजन नास्ता आपूर्ति करने एवं जेनरेटर परिचालन हेतु वर्ष 2020 में विभिन्न सामाचार पत्रों में निकाली गई निविदा के माध्यम से वर्ष 2020 में चयनित संस्था इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।

(31) अस्पताल परिसर अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी एवं लगाई गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नही होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि समाप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अस्पताल परिसर से हटाना होगा। तत्पश्चात् ही 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्रवाई किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने की तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से रू. 5000/– प्रतिदिन की दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गई डिमाण्ड ड्रॉफ्ट पर अंकित राशि मे से कटौती करने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

(32) चयनित संस्था द्वारा श्रमिक एवं अन्य कर्मी के आवास (जो वर्तमान में है) आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण–पत्र) सहित श्रमिकों का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति एकरारनामा से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

(33) बाल श्रम तथा अन्य अपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

(34) अगर दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(35) अस्पताल परिसर में रोगी के हित में अस्पताल भवनों का विस्तार किया जा रहा है। विस्तार होने के उपरान्त साफ–सफाई वगैरह की क्षमता की वृद्धि हो जायेगी। उक्त परिस्थिति में शर्त्तोनुकूल संबंधित कार्य एकरारनामा अवधि तक करना होगा। उसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित L1 दर के आधार पर प्रतिवर्ग मीटर प्रतिदिन के दर से भुगतान किया जायेगा।

(36) विशेषज्ञ द्वारा जॉचोपरांत प्रदूषण फैलाने जैसी शिकायत अगर मिलता है अथवा शर्त्तोनुकूल कार्य सही नहीं पाये जाने, जैसी शिकायत प्राप्त होने पर अस्पताल प्रशासन के गठित समिति द्वारा जॉचोपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(37) कार्य अवधि के समय कर्मी/श्रमिकों को मास्क, टोपी एवं दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा, कार्य निष्पादन करने वाले यथा कर्मी एवं श्रमिक बिल्कुल स्वस्थ्य होना चाहिए उनको टाइफाईड, संक्रमण एवं अन्य कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, के आलोक में प्रत्येक एक माह पर स्वास्थ्य जॉच कराने के पश्चात् स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र अस्पताल के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।

(38) किसी कारण से कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक मे वित्तीय निविदा खोलने के 120 दिन तक ही निविदा कि वैद्यता होगी।

नोट :–

(I) **निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नही करेंगे एवं शपथ–पत्र क्रमवारनुकूल अलग–अलग बना होना चाहिए।**

(II) जिस संस्था का बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (काली सूची में दर्ज किया गया हो अथवा आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभाग/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की मॉग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातो/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप) लगा हो तो वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते है।

(III) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्त्तो से संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्व0 अभिप्रमाणित छाया–प्रति का क्रमवार नम्बरिंग *(स्व0 अभिप्रमाणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा)* करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।

(IV) **नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, अगर निविदादाता द्वारा इसका उलंघन किया जाता हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उलंगन का पता चलता हैं तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेश एवं एकरारनामा रद करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई सभी भुगतान की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानुनी कार्रवाई की जाएगी।**

28/11/2020

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
पटना।

1. राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के प्रतिनिधि। :-
2. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पटना। :- 28.11.2020
3. जिला लेखा पदाधिकारी, पटना। :- 28.11.20
4. वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना। :- 28/11/2020
5. डॉ0 अमरनाथ प्रसाद, कन्सल्टेंट। :- 28.11.20
6. डॉ0 श्याम किशोर चिकित्सा पदाधिकारी। :- 28/11/20
7. डॉ0 सरसिज नयनम, रेजिडेंट। :- 28/11/2020
8. डॉ0 जावेद अनवर, निश्चेतक। :- 28/11/20
9. डॉ0 देवेन्द्र कुमार, जी0डी0एम0ओ। :-
10. डॉ0 मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी। :- 28-11-20